

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
**मंत्रालय**

**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**  
**//आदेश//**

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

**12 MAY 2023.**

क्रमांक—एफ—२—२०/२०२२/सात—२—::—राज्य शासन एतदद्वारा निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल—८ में पदोन्नत करते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सामने कॉलम नं. (४) में दर्शाये अनुसार जिले में पदस्थ करता है :—

क्र.	नाम	वर्तमान पदस्थापना जिला	नवीन पदस्थापना जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री जगदेव प्रसाद खुंटे	जिला—राजनांदगांव	जिला—राजनांदगांव
2	श्री घासीराम राठौर	जिला—कोरबा	जिला—कोरबा
3	श्री सत्यपाल सिंह यादव	जिला—दुर्ग	जिला—राजनांदगांव
4	सुश्री ज्योति सिंह	जिला—रायपुर	जिला—रायपुर
5	श्री संजय बरेठ	जिला—कोरबा	जिला—जांजगीर—चांपा
6	श्री गंगाधर	जिला—बालोद	जिला—राजनांदगांव
7	सुश्री विनीता शर्मा	जिला—कबीरधाम	जिला—बिलासपुर
8	श्री बी. रुद्रापति	जिला—दुर्ग	जिला—बालोद
9	श्री उमेश तिवारी	जिला—जांजगीर—चांपा	जिला—सरगुजा
10	श्री सुमीत देवांगन	जिला—बालोद	जिला—बेमेतरा
11	श्री दीपेन्द्र सिंह पटेल	जिला—रायपुर	जिला—धमतरी
12	श्री चन्द्रप्रकाश सोनी	जिला—गरियाबंद	जिला—मुंगेली
13	सुश्री नंदिनी देवी वर्मा	जिला—धमतरी	जिला—रायगढ़
14	सुश्री पूजा सिंह सार्व	जिला—मुंगेली	जिला—कबीरधाम
15	श्रीमती प्रिती चिर्वतकर	जिला—राजनांदगांव	जिला—बालोद
16	सुश्री योगिता बंजारे	जिला—कबीरधाम	जिला—दुर्ग
17	श्रीमती सरिता राजवाड़े	जिला—सरगुजा	जिला—सरगुजा
18	श्रीमती मिशा भार्गव	जिला—बिलासपुर	राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला बिलासपुर
19	श्री पंकज कुमार राम	जिला—जशपुर	जिला—जांजगीर—चांपा
20	श्री देवराज सिंह सिदार	जिला—महासमुंद	जिला—सारंगढ़—बिलाईगढ़
21	श्रीमती हेमलता सलाम	जिला—कोणड़ागांव	जिला—सुकमा

*(Signature)*

22	श्री लखीराम पाण्डेय	जिला-दंतेवाड़ा	जिला-बस्तर
23	श्री योपेन्द्र कुमार पात्रे	जिला-मुंगेली	जिला-सुकमा
24	श्री हरीशचन्द्र यादव	जिला-मुंगेली	जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
25	श्री पंकज कुमार मिश्रा	जिला-बिलासपुर	जिला-रायगढ़
26	श्री मनोज कुमार रस्तोगी	जिला-दुर्ग	जिला-दुर्ग
27	श्री उज्जवल पाण्डेय	जिला-बेमेतरा	जिला-रायगढ़
28	श्री समर्थ थवाईत	जिला-बिलासपुर	जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
29	श्री वेंकटेश मार्वल	जिला-कोरबा	जिला-गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही
30	श्री ललित सिंह	जिला-सरगुजा	जिला-महासमुंद
31	श्री देवेन्द्र कुमार	जिला-कोरिया	जिला-कोरबा
32	श्री चन्द्रभूषण सिंह चन्द्रा	जिला-कोरबा	जिला-कोरबा
33	श्री छत्रपाल चन्द्राकर	जिला-दंतेवाड़ा	जिला-धमतरी
34	श्री भूपेन्द्र सिंह	जिला-रायपुर	जिला-दुर्ग
35	श्री रमाकांत पटेल	जिला-बेमेतरा	जिला-जांजगीर-चांपा

2/ उपरोक्त राजस्व निरीक्षकों का पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि, इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच नहीं चल रही है या आदेशित नहीं है और वे निलंबित नहीं हैं। यदि उपरोक्त सूची में किसी राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है या लंबित है या वह निलंबित है, तो संबंधित के मामले में पदोन्नति आदेश शून्य माना जाएगा।

3/ पदोन्नत राजस्व निरीक्षक, आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर, उक्त पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

4/ उक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WP (PIL) No 91/ 2019 एवं WPS No 9778 / 2019 में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

५५  
१२.५.२३  
(शत्रुहन यादव)

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

//3//

पृक्रमांक एफ-2-20/2022/सात-2  
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक

12 MAY 2023.

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
  2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
  3. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
  4. आयुक्त, भू-अभिलेख, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
  5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
  6. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
  7. कलेक्टर, जिला— ..... छ.ग.। यदि पदोन्नति आदेश में उल्लेखित किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच के लिए आरोप पत्र जारी हुआ हो अथवा दण्ड प्रभावशील हो अथवा कर्मचारी निलंबित हो, तो ऐसे कर्मचारी को पदोन्नति हेतु कार्यमुक्त न किया जाए तथा वस्तुस्थिति की विस्तृत जानकारी सहित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दी जाए।
  8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, ..... छ.ग.।
  9. संबंधित कर्मचारी.....छ.ग.।
  10. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
  11. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाइल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5/5  
12/5/23  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग